

06.09.17

पत्रावली में बार-बार आवाज दिलाई गई-
छिन्दु वादी असालवन या बकालवन उपस्थित
नहीं हुआ। अतः प्रकरण अदम हाजरी व इकम
पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली कैसलशुमार होकर नंबर से
कम हो सब एक तकमील जमा जिला अभिलेखमा
हो। (७३)

पत्रावली में बार-बार आवाज दिलाई गई-
छिन्दु वादी असालवन या बकालवन उपस्थित
नहीं हुआ। अतः प्रकरण अदम हाजरी व इकम
पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली कैसलशुमार होकर नंबर से
कम हो सब एक तकमील जमा जिला अभिलेखमा
हो।

पत्रावली में बार-बार आवाज दिलाई गई-
छिन्दु वादी असालवन या बकालवन उपस्थित
नहीं हुआ। अतः प्रकरण अदम हाजरी व इकम
पैरवी में खारिज किया जाता है।